बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से रब्बी विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत 7.00 (सात) लाख मे0टन गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि ब दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं । **इस वर्ष गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DC व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ उपयोग नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।** राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने कां निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2016–17 के लि भारत सरकार के पत्रांक संख्या– 4(3)/2015-Py.I दिनांक 18.11.15 द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मू 1525/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–18.04.2016 से 31.07.20** तक प्रभावी रहेगा।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रब्बी विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् विकेन्द्रीकृत अधिप्रा (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कि जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रंखड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से कि जाना है।
- किसानों को पूरे राज्य में RTGS/NEFT के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के बाद तत्काल भुगतान कि जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की ऑन लाईन सूची का संधारण।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटा बेस पर ही किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। नोड एजेंसी द्वारा तैयार अधिप्राप्ति सॉफटवेयर पर किसानों का ऑनलाईन डाटा बेस संधारित होगा। सहकारि विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वय से किसानों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा। जिसका स्क्री कराकर बेवसाईट पर अपलोड होगा। छूटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकर

वसुधा केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कराकर Authenticte करेंगे। सहकारिता विभाग इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगी एवं राज्य खाद्य निगम आवष्यक तकनीकी सहयोग करेगी।

- किसान से गेहूँ का क्रय प्रति किसान से अधिकतम सीमा 100 (एक सौ) क्वीं0 तक निर्धारित रहेगा, ताकि लघु/सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक–15.04.2016 के पूर्व कर ली जाय।

3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 7.00(सात) लाख मे0टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसका शत–प्रतिषत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किया जाना है।

सम्यक् विचारोपरान्त रब्बी विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ **संलग्न** है। आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

रब्बी विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रंखड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा किया जायेगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी पैक्स/व्यापार मंडल की है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण ।**
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु **गेहूँ की खेती करने वाले किसानों का नामांकन।**
- किसानों को **RTGS/NEFT** के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें के आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक–15.04.2016 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जाय । बिहार राज्य खाद्य निगम कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक–15.04.2016 के पूर्व चिन्हित भंडारण स्थल/गोदाम पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
  किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नही किया जायेगा। आवश्यकतानुसार/परिस्थिति विशेष में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के सुरक्षित भंडारण हेतु अस्थायी Water Proof **पंडाल की व्यवस्था की जाय ।**

6. भुगतान की व्यवस्था

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) की राशि ऑन लाईन भुगतान RTGS/NEFT द्वारा अविलंब किया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का ऑन लाईन भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना एवं किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय एवं भुगतान की सूचना एस0एम0एस0 से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर देना।

- पैक्स से गेहूँ प्राप्ति के आधार पर पैक्स से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जांच कर 7 दिनों के अंदर पैक्सों / व्यापार मंडलों के खाते में सीधे **RTGS/NEFT** के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान सुनिश्चित करना।

7. रब्बी विपणन मौसम 2016–17 हेतु प्रषासनिक प्रबंधन

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में उच्च पारदर्षिता एवं ई–गवर्नेंस की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया–गेहूँ क्रय, भुगतान आदि कम्प्यूटर सॉफटवेयर के माध्यम से होगी।
- अधिप्राप्ति के सभी क्रय केन्द्र Digitized होगें एवं Procurement Software पर ऑन–लाईन कार्य होंगे। Farmer एंव PACS /व्यापार मंडल का डाटा बेस तैयार होगा। डाटाबेस से कागजातों को जमा करने की जटिलता से किसानों को राहत मिलेगी एवं बिचौलियों पर अंकुष लगेगा।

- वर्ष 2016–17 के अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार के प्रस्तावित MOU शर्त के अनुसार गेहूँ क्रय, भुगतान आदि का Online Daily Reporting बाध्यकारी है। Digitization से ऑकड़ों की विष्वसनियता एवं शुद्धता के अलावे समय पर प्रतिवेदन प्राप्ति एवं प्रेषण सुनिष्चित होगा।

8. <u>जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था</u>

- जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–
- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

9. <u>पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति</u>

- पंचायत/प्रखंड स्तर पर कय केन्द्रों में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate/Land Mass देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के अनुमंडल स्तर पर स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

10. <u>पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था</u>

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुंचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

11. <u>गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात</u>

- <u>भूमि सम्बन्धी दस्तावेज</u> – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/ किसान क्रेडिट कार्ड–इनमें से कोई एक राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी के रोकने के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा।
- <u>किसानो का फोटोयुक्त पहचान पत्र</u> – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की फोटो प्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिष्चित करना। जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते है वैसे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोग्राफ पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त कर वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरान्त ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन कराना है। ऐसे किसानों का आवेदन का सत्यापन हेतु 'जिला

स्तर पर कृषि विभाग के द्वारा सत्यापन एवं पंजीकरण' की व्यवस्था लागू की जाय ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी क्रय–विक्रय न हो।

- **रब्बी विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा (Moisture) 12 से 14 प्रतिशत, Foreign Matter - 0.75%, Damaged grains-2%, Slightly damaged grains-4%, Shrivelled & Broken grains-6% and Other foodgrains-2% हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।**

12. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को गेहूँ संग्रहण केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

13. अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

14. अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका

- पैक्स/व्यापार मंडल से गेहूँ प्राप्त करने हेतु अनुमंडल स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप गेहूँ संग्रहण केन्द्र खोलना ।
- प्रतिदिन गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण करना।
- गन्नी बैग की व्यवस्था – पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गनी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गनी बैग उपलब्ध कराना ।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

15. अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन करना ।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- अधिप्राप्ति कार्य, गेहूँ के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को मोबाईल एप (**Mobile App**) पर अधिप्राप्ति गेहूँ से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे तीन जिले जहां सहकारी बैंक नही हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

16. अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

17. जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक माह में दो दिन अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

18. प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

19. जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे ।

20. अवकाश पर प्रतिबंध

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेंगा ।

चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनंतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात् बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

21. अन्यान्य

इसके पूर्व में पारित सभी आदेशों पर इस आदेश की अधिमान्यता दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त ।

प्रधान सचिव।

18/4

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव।

18/4

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।
18/4

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव।
18/4

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।
18/4

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव।
18/4

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–02/2016 – 2440 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।
18/4

बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0——————————पटना, दिनांक–

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यून समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रब्बी विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्य गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किय जाता है एवं बिहार राज्य खाद्य निगम तथा पैक्स/व्यापार को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप प्राधिकृत किया जाता है । पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) तथा प्रखंड स्तर व्यापार मंडल द्वारा किसानों से गेहूँ का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य सम्पादित किया जायेगा । बिहार राज्य खाद्य निगम, पैक्स/व्यापारों द्वारा खरीदे गये गेहूँ प अपने क्रय केन्द्रों पर किसानों से खरीदे गये गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच कर उक्त गेहूँ का उपयो भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।

3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभ भारत सरकार के पत्र सं0 4(3)/2015–पी0वाई0.I दिनांक – 18.11.2015 के द्वारा रब्बी विपणन मौ 2016–17 के अन्तर्गत गेहूँ का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :–

(रूपये प्रति क्वींटल)

गेहूँ	1525.00

4. रब्बी विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यकम दिनांक- 18.04.2016 से 31.07.2016 तक के लिए प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–02/2016– 2441 खाद्य, पटना/दिनांक – 18.04.2016

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहि सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर हुए गजट की एक सौ प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

प्रधान सचिव
18/4/16

D:Section 10/2015/RMS Work Plan 2016-17

Government of Bihar
Food & Consumer Protection Department.

NOTIFICATION

G.S.R.....2442.....Patna, dated.....18.04.2016.....

WHEREAS the Government is of the opinion that for ensuring the M... to farmers and for securing the availability and supply of Wheat in the State it... necessary and expedient to establish procurement centres.

2. Bihar State Food Corporation is designated as the Nodal Agency for th... procurement of wheat under Decentralised Procurement Scheme for R... Marketing Season 2016-17 and Bihar State Food Corporation and Prima... Agriculture credit Societies (PACS) are authorized as procuring agencies for th... procurement of Wheat during Rabi Marketing season 2016-17. Primary Agricultu... credit Societies (PACS) at Panchyat level and Vyapar Mandal at Block Level sh... also purchase wheat from farmers and perform the procurement exercise throu... Bihar State Food Corporation. Bihar State Food Corporation will utilize ... procured wheat from PACS and through its own Purchase Centers, under TPDS ... the light of allocation made by Govt. of India.

3. Vide letter no. 4(3)/2015 - PY. I dated 18.11.2015 of the Ministry ... Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Food & Public Distributi... Department) Government of India, New Delhi, the Minimum Support Price ... wheat for Rabi Marketing Season 2016-17 has been fixed as follows :-

(in Rs. per quintal)

Wheat - 1525.00

4. Wheat procurement programme during Rabi Maraketing Season 2016-17 wi... be effective **form** 18.**04.2016 to 31.07.2016.**

By the Order of Governor of Biha...

(Dr. Deepak Prasad)
Principal Secretary.

D:Section 10/2015/RMS Work Plan 2016-17